



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मुख्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, एचएम टॉवर, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024. Telefax: 2326896, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@edfimmil.com, (Forest) goimnoretroik@gmail.com

पत्र संख्या-081/यू.पी./06/08/2019/एफ.सी. /640

दिनांक: 18.02.2019

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक,
वन उपयोग वृत्त, अरण्य भवन,
17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

[आर्नालाईन प्रस्ताव संख्या-PP/UP/Road/26962/2017]

विषय: आगरा में फरोहाबाद रोड पर कवलीबाई चौराहा से कवोराघाट मार्ग के किमी0 10 किमी0 से 11 किमी0 तक का 6 लेन चौड़ाकरण हेतु 1.4 हे0 सरक्षित वनभूमि के शैथिलिकी प्रयोग एवं उस पर अर्पित 126 वृक्षों के पालन के संबंध में।

संख्या:	मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,	उत्तर प्रदेश का पत्रांक-
1597/11-सी-एफ0पी0/यू0पी0/रोड/26962/2017.	दिनांक-07.02.2019.	

महोदय, उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। इस संबंध में मुझे यह सूचित करना है कि क्योंकि उक्त प्रस्ताव ITZ के अन्तर्गत आता है एवं इसमें 126 वृक्षों का पालन भी प्रस्तावित है। अतः उक्त प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति आवश्यक है। कृपया आवश्यक कार्रवाई करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

CE/Minerals
अध्यक्ष
24-2-19

भवदीय
[Signature]
(के0के0 विचारी)
वन संरक्षक(के)

- प्रतिलिपि सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-
1. निवेश सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन, बागू भवन, लखनऊ
 2. प्रभागीय निदेशक, अरण्य वन प्रभाग, आगरा, 200 30।
 3. अधिराजी अभियन्ता (निर्माण खण्ड-1) लोक निर्माण विभाग, आगरा, 20030।
 4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का वेबसाईट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
 5. आदेश पत्रारक्षी।

(के0के0 विचारी)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक-1680/11सी-FP/UP/Road/26962/2017. लखनऊ, दिनांक: फरवरी 22, 2019

प्रतिलिपि- वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त वांछित सूचना/अभिलेख शीघ्रातिशीघ्र इस कार्यालय को तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त वांछित सूचना/अभिलेख शीघ्रातिशीघ्र इस कार्यालय को तीन प्रतियों में वन संरक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
प्रतिलिपि- अधिराजी अभियन्ता, (निर्माण खण्ड-1) लोक निर्माण विभाग, आगरा को सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
3090, लखनऊ।